तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर** **राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 48/2023 (2023/154)** **अनवान जाहेदा बानो बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी (वर्तमान तहसील झंवर)** **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२५-५-२६	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 358 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय मौजा ग्राम डोली, पटवार क्षेत्र डोली तहसील लूणी वर्तमान तहसील झंवर जिला जोधपुर में स्थित है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 358 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा मौजा ग्राम डोली तहसील लूणी (वर्तमान तहसील झंवर) जोधपुर की मौके पर तरमीम (सीमांकन) करने का आदेश फरमावे तथा उक्त खसरे के चारो ओर सीमाज्ञान की स्थिति स्पष्ट करते हुए पत्थरगढी/नेकमबन्दी किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लूणी (वर्तमान तहसील झंवर) को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार झंवर के पत्रांक/कोर्ट/2025/295 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में बताया कि राजस्व ग्राम डोली में खातेदार प्रार्थीया जाहेदा बानो पत्नि हाजी मोहम्मद युनुस जाति मुसलमान चडवा निवासी खाण्डा फलसा जोधपुर द्वारा खसरा नम्बर 358 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय की पत्थरगढी के सम्बन्ध प्रार्थीया से दूरभाष के जरिये संपर्क किया गया तो अवगत कराया गया कि उन्होने उक्त भूमि बैचान कर दी है। राजस्व रिकार्ड में मिलान करने पर पाया गया कि जाहिदा बानो द्वारा बैचान करने से नामांतकरण संख्या 1861 दिनांक29.07.2025 की स्वीकृति अनुसार वर्तमान में खातेदार तयब अंसारी पुत्र मुमताज अली हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान निवासी कमला नगर जोधपुर के नाम दर्ज है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा उक्त खसरे का बैचान कर दिया गया है। तथा तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। (हँसमुख कुमार) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	